

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2010

(आय-कर)

का.आ. 909(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 के स्पष्टीकरण 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “चीन जनवादी गणतंत्र के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र” को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए ‘विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र’ के रूप में अधिसूचित करती है ।

[अधिसूचना सं. 25/2010-एफटीडी-II/फा. सं. 500/124/
97-एफटीडी-II]

के. रामालिंगम, संयुक्त सचिव